

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/अग्रहायण 18, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 319

No. 344]

DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941

[N.C.T.D. No. 319

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019

सं. 742/नियम/डीएचसी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश अधिसूचना सं. 38/नियम/डीएचसी दिनांक 19.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV सं. 22 (एन.सी.टी.डी. सं. 424) में दिनांक 20.01.2018 को प्रकाशित दिल्ली उच्च न्यायालय में विधि शोधकर्ताओं की नियुक्ति की योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

वर्तमान पैरा 2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा:

“2. विधि शोधकर्ताओं की सेवाओं हेतु पात्रता:

दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं प्रत्येक माननीय न्यायाधीश तीन विधि शोधकर्ताओं (इसके पश्चात LRs के रूप में उल्लिखित) की सेवाओं के हकदार होंगे। माननीय मुख्य न्यायाधीश उपयुक्त मामलों में अतिरिक्त LRs की अनुमति दे सकते हैं।”

न्यायालय के आदेशानुसार,

दिनेश कुमार शर्मा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION

Delhi, the 6th December, 2019

No. 742/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice hereby makes the following amendment in Scheme for engagement of Law Researchers in the High Court of Delhi notified vide Notification No. 38/Rules/DHC dated 19.01.2018, published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 22 (N.C.T.D. No. 424) dated 20.01.2018 :

THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING PARA 2:—

“2. Entitlement for the Services of Law Researchers:

Hon'ble the Chief Justice and each Hon'ble Judge of Delhi High Court shall be entitled to have services of three Law Researchers (hereinafter referred to as LR's). Hon'ble the Chief Justice may sanction additional LR's in appropriate cases.”

By Order of the Court,

DINESH KUMAR SHARMA, Registrar General